

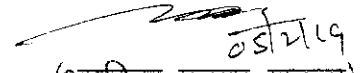
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B1865 /

जबलपुर, दिनांक 8/09/2019

श्री प्रमोद कुमार नन्देश्वर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को न्यायिक शाखा के सिविल रिवीजन अनुभाग में डीलिंग असिस्टेंट-2 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण ए.आर. क्रमांक 9/18 में रजिस्ट्रार (न्यायिक-एक) के आदेश दिनांक 13.10.2017 द्वारा केवल रिस्पॉण्डेंट नंबर-2 के लिये खारिज (Dismissed) करने हेतु आदेशित किये जाने पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतते हुये पूर्ण प्रकरण ही खारिज (Dismissed) करने की गंभीर त्रुटि करने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक डी/6252,, जबलपुर दिनांक 31.10.2018 के संबंध में प्रस्तुत जवाब दिनांक 01.11.2018 में त्रुटि स्वीकार करने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत लघुशास्ति "परिनिंदा" (Censure) के दंड से दंडित किया जाता है।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B1866 /

जबलपुर, दिनांक 8/09/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. अनुभाग अधिकारी पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 10. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. श्री प्रमोद कुमार नन्देश्वर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(श्याम बिहारी वमां)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)
Per